

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ23(34) लेखा/आकाशि/छात्रवृत्ति/2020-21/११1२

दिनांक :- ११/०१/२०२१

समस्त प्राचार्य  
राजकीय/निजी महाविद्यालय/  
राज्य वित्त पोषित/निजी विश्वविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय :- छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अग्रेषण के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- विभाग द्वारा प्रसारित छात्रवृत्ति विज्ञप्ति क्रमांक-११०२ से १११ तक दिनांक-११-१-२१  
क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित विज्ञप्ति के संबंध में छात्रवृत्ति राशि का पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में ऑन-लाईन अन्तरण किया जाना है। अतः उक्त छात्रवृत्तियों संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में निम्नानुसार क्रियान्वयन किया जावे :-

- 1 आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति, महिला योग्यता छात्रवृत्ति, उर्दू छात्रवृत्ति, स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति, मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति, भारत पाक व चीन युद्ध में मृतक/अपंग सैनिकों के बच्चों/उनकी विधवाओं को छात्रवृत्ति, ललित कला छात्रवृत्ति (स्कूल ऑफ आर्ट्स/संगीत संस्थान), राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पृत्रियों को देय छात्रवृत्ति, कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति, मिलीट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृत्ति, विभाग द्वारा प्रसारित छात्रवृत्ति योजना के आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में योजनावार अलग-अलग एक्सल सीट (सॉफ्ट कॉपी) व हार्ड कॉपी में तैयार कर प्रस्तुत करें।
- 2 संलग्न प्रपत्र में आधार कार्ड नं. व जन आधार कार्ड नं. सहित समस्त कॉलम की पूर्ति अनिवार्य रूप से की जावे आधार कार्ड नं. एवं जन आधार कार्ड की प्रति संलग्न करावें तथा आय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संलग्न करावें।
- 3 संस्था प्रधान प्राप्त आवेदन पत्रों की सम्पूर्ण जांच कर मय संलग्नको के अपनी अभिशंषा सहित निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से निर्धारित स्थान आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।
- 4 संस्था प्रधान महाविद्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को अग्रेषण से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता की जांच कर लें।
- 5 निर्धारित तिथि पश्चात किसी भी छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र आयुक्तालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6 संस्था प्रधान/विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा डाक से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।
- 7 आधे-अधूरे/बिना संलग्नकों के प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 8 संस्था प्रधान संलग्न प्रारूप में सॉफ्टकॉपी तैयार कर संबंधित आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर में व्यक्तिशः प्रस्तुत कर, प्राप्ति रसीद लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त दिये गये निर्देशों का पालन कठोरता से किया जावे ताकि पात्र विद्यार्थियों को तत्काल छात्रवृत्ति स्वीकृत कर उनके बैंक खातों में राशि अन्तरित की जा सके।

संलग्न :- सॉफ्टकॉपी प्रारूप।

  
(संदेश नायक, आई.ए.एस.)


आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ23(34) लेखा/आकाशि/छात्रवृत्ति/2020-21/११13

दिनांक :- ११/०१/२०२१

प्रतिलिपि प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।

  
(एच.आर. पवार)  
वित्तीय सहायक

चाही गई समस्त सूचनाओं की पूर्ति अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में की जावे। (कृपया font -"Times New Roman" एवं font size "14" काम में ले।)

Name of college :-

District :-

Scholarship Name :-

S. No.	Fresh/Retn	Name of Student	Father/Husband Name	Gender (M/F)	Date of Birth	category (GEN/OBC/SBC/MIN/S)	Address	Mobile	Jan Adhar Card No.	Aadhar No. (Without Space)	Income	Last Year Exam %	Class	UG/PG	Date of Admission	Bank Name	Branch Name	IFSC (11 Digit)	MICR Code	Bank Account No. (Maximum 16 Digits)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					